इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 7 अंक सं. :11 जून, 2015 पृष्ठों की सं

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं ----------2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------3
बैंकिंग जगत की घटनाएं ----------6
विनियामकों के कथन ----------9
बीमा ---------- 10
नयी नियुक्तियां ---------- ---------- 11
विदेशी मुद्रा---------- 12
उत्पाद एवं गठजोड ---------- 13
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- ---------- ------14
शब्दावली ---------- 14
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां----------14
संस्थान समाचार----------15
बाज़ार की खबरें----------16

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

बैंकों ने जन सुरक्षा के अधीन 63 मिलियन लोगों के नाम दर्ज किए

बैंकों ने तीन जन सुरक्षा योजनाओं - अटल पेंशन योजना (APY), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत 63.3 मिलियन लोगों के नाम दर्ज किए हैं। इन योजनाओं की शुरुआत 9 मई, 2015 को भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक मीयादी बीमा योजना है, जो किसी कारणवश मृत्यु हो जाने की स्थिति में जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाली एक वर्षानुवर्ष नवीकरणीय योजना है। 18 से 50 वर्ष के आयु समूहों में आने वाले सभी बचत बैंक खाता धारक एक वर्ष के लिए 330 रुपये के देय प्रीमियम पर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक वर्ष हेतु 12 रुपये के प्रीमियम वाली 2 लाख रुपये की बीमित रकम के लिए एक दुर्घटना बीमा योजना है। सदस्य की दुर्घटना सुरक्षा 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर या फिर बैंक के पास खाते को बंद कर दिए जाने के कारण या बीमे को प्रचलन में रखने हेतु शेष राशि की अपर्याप्तता के कारण समाप्त हो जाएगी। अटल पेंशन योजना की सुविधा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उपलब्ध होगी। अटल पेंशन योजना के तहत अंशदाताओं द्वारा किए गए अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पर 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 हजार रुपये, 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की एक गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी।

विदेशों में स्थित भारतीयों द्वारा निवेश सरल बनाए गए

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए अप्रत्यावर्तनीय निवेशों को घरेलू निधीयन के समकक्ष मानते हुए उनके लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के मानदंडों को शिथिल करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में निर्णय केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। उक्त बैठक में विदेशों में रहने वाले भारतीयं नागरिक कार्डधारकों और भारतीय मूल के व्यक्ति कार्डधारकों को शामिल करने हेतु अनिवासी भारतीयों की परिभाषा को व्यापक बनाने का भी निर्णय लिया गया। इस निर्णय कि अनिवासी भारतीय में विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक कार्डधारक और उनके साथ ही भारतीय मूल के व्यक्ति कार्डधारक शामिल हैं, का उद्देश्य सरकार की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से सम्बन्धित नीति को

आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में भारतीय मूल के लोगों और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अनिवासी भारतीयों जैसी सुविधा प्रदान करने से जोड़ना है। इस उपाय के परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में निवेश बढ़ने तथा विदेशी मुद्रा विप्रेषण के अंतर्वाह में वृद्धि होने की आशा की जाती है, जिससे देश की आर्धिक संवृद्धि सुनिश्चित होगी।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

कार्ड जारी करने के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह दी है कि उनके द्वारा जारी किए जाने वाले सभी नये कार्ड - डेबिट और क्रेडिट, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय - 1 सितम्बर, 2015 से यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीसा (ईएमवी) चिप और पिन-आधारित कार्ड होने चाहिए। जहां कुछेक बैंकों ने ईएमवी चिप और पिन-आधारित कार्ड जारी करने की प्रणाली पहले से ही अपना रखी है, वहीं काफी बड़ी संख्या में बैंक चुंबकीय पट्टी वाले कार्ड जारी करने की प्रणाली ही अपनाए हुए हैं। स्वीकृति सम्बन्धी मूलभूत सुविधा को ईएमवी चिपों और पिन-आधारित कार्ड स्वीकार करने हेतु तैयार किया जा रहा है। इसप्रकार किसी बिक्री केन्द्र पर कार्ड स्वीकार करने की मूलभूत सुविधा की तैयारी के स्तर और डेबिट कार्डों के लिए बिक्री केन्द्रों पर @ पिन (PIN) के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए यही वह उपयुक्त समय है जब केवल चुंबकीय पट्टी वाले कार्डों से पिन कार्डों की राह पर आगे बढने की दिशा में प्रस्थान किया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋणगत धोखाधड़ियों से निपटने हेतु रूपरेखा जारी की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने धोखाधड़ियों की रोकथाम, समय-पूर्व पता लगाने एवं रिपोर्टिंग से सम्बन्धित मुद्दों के लिए ऋणगत धोखाधड़ियों से निपटने हेतु रूपरेखा जारी की है। ये दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। बैंकों के लिए ऋण खातों में धोखाधड़ियों को रोकने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है ऋण खाते के सम्पूर्ण जीवनकाल के दौरान एक सुदृढ़ मूल्यांकन एवं प्रभावी ऋण निगरानी व्यवस्था लागू करना। 'धोखाधड़ियों' के रूप में वर्गीकृत खातों के मामले में बैंकों के लिए प्रतिभूति का मूल्य चाहे जितना भी क्यों न हो, पूरी सीमा तक का तत्काल प्रावधान करना आवश्यक हो जाता है। हालांकि, बैंक के एक बार में प्रावधान करने में असमर्थ होने की दशा में वह अब चार तिमाहियों में वैसा कर सकता है, बशर्ते रिपोर्टिंग में कोई देरी न हुई हो। बैंकों के लिए धोखाधड़ी का पता चलने पर कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों के पास तत्काल शिकायत दर्ज कराना आवश्यक होता है। धोखाधड़ी जोखिम नियंत्रण के में एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में वर्तमान रूपरेखा (ढांचे) में संकटमय खाते (Red-Flagged Account) की संकल्पना लागू की जा रही है। संकटमय खाता वह है जिसमें एक या उससे अधिक समय-पूर्व चेतावनी संकेतों (EWS) द्वारा कपटपूर्ण गतिविधि की जानकारी प्रदान की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के मार्गदर्शन हेतु कुछेक समय-पूर्व चेतावनी संकेतों की एक सूची उपलब्ध कराई है। जिन्होंने चूक की है और खाते में धोखाधड़ी भी की है, ऐसे उधारकताओं को अनुसूचित

वाणिज्यिक बैंकों, विकासपरक वित्तीय संस्थाओं, सरकार द्वारा स्वाधिकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, निवेश संस्थाओं आदि से हथियाई गई (defrauded) राशि की पूर्णत: चुकौती की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वित्त प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों को 8 वर्ष से अधिक पुन:समाधान अवधि की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (ARCs) को दबावग्रस्त खातों के लिए पुनर्संरचना पैकेज की सहज रूप से सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक लम्बी पुन: समाधान अवधि प्रदान की है। आस्तियों के समक्ष रखी गई प्रतिभूति रसीदों (SRs) को मोचित करने के समय को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना / कारपोरेट ऋण पनुर्संरचना बोर्ड / संयुक्त ऋणदाता मंच द्वारा अनुमोदित पुन:समाधान अवधि के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ इन प्रतिभूति रसीदों का स्वतंत्र साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा साख श्रेणी निर्धारण जारी रखने की शर्त पर बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में प्रतिभूतिकरण कम्पनियों / पुनर्निर्माण कम्पनियों को उनके द्वारा अभिगृहीत दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली के लिए अनुमत अधिकतम पुन:समाधान अवधि 8 वर्ष है। हालांकि, अधिकांश मामलों में चुकौती अवधि 8 वर्ष से अधिक हो जाती है। ऐसे मामलों में दबावग्रस्त आस्तियों के भाग को धारित करने वाली आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों ने विनियामक बाधाओं के कारण अन्य ऋणदाताओं के साथ मिलकर 8 वर्ष से अधिक अवधि तक रुकने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। वे पांच या आठ वर्ष के अंत में उससे अलग हो जाएंगी, जिससे बहुसंख्यक ऋणदाताओं के पुनर्संरचना के प्रयासों में रुकावट आ जाएगी। निर्देशों को आशोधित करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन बाधाओं को ध्यान में रखा था। अब, इन संशोधनों के परिणामस्वरूप आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां दबवग्रस्त मामलों को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पारस्परिक निधियों की बिक्री हेतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर रोक हटाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पारस्परिक निधियां बेचने के बारे में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर लागू सभी प्रतिबंधों को हटा लिया है। चूंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा पारस्परिक निधि उत्पादों का वितरण जोखिम में हिस्सेदारी न करने के आधार पर तथा विशुद्ध रूप से ग्राहक सेवा के रूप में किया □ाता है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा पारस्परिक निधि उत्पादों का वितरण किए जाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। पात्रता सम्बन्धी न्यूनतम मानदंड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा पारस्परिक निधि उत्पादों के वितरण से सम्बन्धित दिशानिर्देशों को यथोचित रूप से आशोधित कर दिया गया है। नये दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी को उसके ग्राहक के केवल एक एजेन्ट के रूप में कार्य करते हुए पारस्परिक निधि को भुगतान लिखतों के साथ पारस्परिक निधि की यूनिटों की खरीद या बिक्री करने हेतु आवेदनों को रजिस्ट्रारों या अंतरण एजेन्टों को अग्रेषित करने का कार्य करना चाहिए। यूनिटों की खरीद ग्राहकों के जोखिम पर तथा गैर-बैंकिंग

वित्तीय कम्पनी द्वारा किसी प्रकार के आश्वस्त प्रतिलाभ की गारंटी दिए बिना की जानी चाहिए। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां उनके ग्राहकों को बेचने हेतु पारस्परिक निधि की यूनिटें गौण बाज़ार से नहीं खरीद सकतीं अथवा अपने ग्राहकों से उनकी वापसी खरीद नहीं कर सकतीं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी द्वारा पारस्परिक निधि की यूनिटों को अपने ग्राहकों की ओर से अभिरक्षा में रखे जाने की स्थिति में उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अपने निवेश और उसके ग्राहकों के निवेश एक-दूसरे से अलग रखे जाएं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी को उसके द्वारा प्रायोजित किसी विशिष्ट पारस्परिक निधि उत्पाद को खरीदने हेतु विवश करने वाली कोई प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं अपनानी चाहिए। ग्राहकों को स्वयं उनके विकल्प का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां कारपोरेट बॉण्डों में वायदा सौदे कर सकती हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (45) में यथा-परिभाषित भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए निर्धारित विवेकसंमत मानदंडों का पालन करने वाली सरकारी कम्पनियों सहित उसके (भारतीय रिज़र्व बैंक के) पास पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार (रेडी) वायदा संविदाएं करने की अनुमति प्रदान कर दी है। वायदा संविदा सौदे करने हेतु पहले से अनुमत अन्य संस्थाओं में वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, भारतीय निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंक , राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, आवास वित्त कम्पनियों और पारस्परिक निधियों का समावेश है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विप्रेषण, बाह्य वाणिज्यिक उधार के मानदंड सरल बनाए

रुपया आहरण व्यवस्थाओं (RDAs) के तहत अनुमत लेनदेनों का पुनरीक्षण करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापारिक लेनदेनों की सीमा वर्तमान 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये) से बढ़ाकर प्रति लेनदेन 15,00,000 रुपये (पन्द्रह लाख रुपये केवल) करने का निर्णय लिया है। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को रुपया आहरण व्यवस्था के तहत निर्धारित सीमा से अधिक के भुगतानों को इस शर्त पर विनियमित करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है कि वे लेनदेन की प्रामाणिकता के प्रति संतुष्ट हों, । बाह्य वाणिज्यिक व्यवस्था को पुनर्संरचित करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि मान्यताप्राप्त अनिवासी बाह्य वाणिज्यिक उधार ऋणदाता उक्त ऋण भारतीय रुपयों में दे सकते हैं, बशर्ते कि ऋणदाता भारतीय रुपये भारत में स्थित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक के साथ की जाने वाली अदला-बदली (swaps) के माध्यम से जुटाए, इसके अतिरिक्त बाह्य वाणिज्यिक उधार संविदा में स्वत: और अनुमोदन मार्ग जैसी भी स्थिति हो को लागू होने वाली अन्य सभी शर्तों का पालन किया गया हो और उसके साथ ही इस प्रकार के बाह्य वाणिज्यक उधार में अंतर्निहित समस्त लागत बाज़ार की विद्यमान स्थितियों के अनुरूप हो। भारतीय रुपयों में मूल्यवर्गित बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए अदला-बदली निष्पादित करने के उद्देश्य से मान्यताप्राप्त बाह्य

वाणिज्यिक उधार ऋणदाता, यदि वह चाहे, तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भारत में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोल सकता है।

अनर्जक आस्तियों की आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों को बिक्री से सम्बन्धित मानदंड सरलीकृत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उस लाभ को एक वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया है जिससे बैंकों को अशोध्य ऋणों को आस्ति निर्माण कम्पनियों को बिक्री के माध्यम से हुई हानि को दो वर्षों में फैलाने की सुविधा प्राप्त होती थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि यह व्यवस्था मार्च 2016 तक उपलब्ध होगी। इसके पहले जारी एक परिपत्र के अनुसार उक्त सुविधा 31 मार्च, 2915 को समाप्त हा गई थी। जिन बैंकों ने अनर्जक आस्तियों की पहचान कर ली थी तथा उन्हें समय-पूर्व बेच दिया था, उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस प्रकार की बिक्री वाले माध्यम को दो वर्षों में करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

केन्द्रीय सरकार प्रति वर्ष 15 करोड़ 1 रुपये वाले नोट मुद्रित करेगी

20 वर्ष के अंतराल के बाद 1 रुपये वाले नोट की वापसी आसन्न है। केन्द्रीय सरकार ने प्रति वर्ष 15 करोड़ 1 रुपये वाले नोट मुद्रित करने का निर्णय लिया है। प्रसंगवश वह केवल 1 रुपये का नोट ही है, जिसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, अन्य सभी मुद्रा (करेसी) मूल्यवर्ग वाले नोट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की सलाह दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और कुछेक निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों को एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने की सलाह दी है। आंतरिक लोकपाल को मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (CCSO) के रूप में पदनामित किया जाएगा। उसे उस बैंक में कार्य किया हुआ नहीं होना चाहिए जिसमें उसे मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह पहलकदमी ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने हेतु की है कि बैंकों में ग्राहक शिकायतों का निवारण करने पर अविभक्त ध्यान दिया जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही बैंकों को परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी करेगा।

सेबी ने विपदग्रस्त कम्पनियों में बैंकों के लिए ऋण परिवर्तन मानदंड अधिसूचित किए

चूककर्ता उधारकर्ताओं से निपटने में ऋणदाताओं की सहायता करने हेतु भारतीय प्रतिभूति और

विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बैंकों के लिए उनके ऋणों को इक्विटी में रूपांतरित करने के लिए नये मानदंड अधिसूचित किए हैं। रूपांतरण की कीमत का निर्धारण रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जो इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य से कम नहीं होगी। इसप्रकार आबंटित शेयरों को क्रय-विक्रय के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध रखा जाएगा, बशर्ते कि नियंत्रण को अंतरित करने के उद्देश्य से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का सहायता संघ उनकी शेयरधारिता को अवरुद्धता अवधि पूरी होने से पहले किसी अन्य संस्था / कम्पनी को इस शर्त पर अंतरित करे कि इस प्रकार के शेयरों से सम्बन्धित अवरुद्धता अंतरिती के पास शेष अवधि के लिए जारी रहे।

चेक अस्वीकरण के मामलों के जमावड़े को रोकने हेतु विधेयक

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक 2015 प्रस्तुत किया, जो चेकों को स्वीकार न किए जाने से सम्बन्धित धारा 138 के तहत मामलों की उचित सुनवाई सुनिश्चित करने में सहायक होगा। यह उपाय विविध न्यायालयों में चेक अस्वीकरण वाले मामलों का जमावड़ा रोकने के लिए किया गया है। इसमें शामिल मुख्य संशोधन यह विनिर्देशन है कि परक्राम्य लिखत के अधीन चेक अस्वीकरण / उसकी वापसी के अपराध की जांच-पड़ताल और सुनवाई केवल उस न्यायालय द्वारा की जाएगीं जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आदाता के बैंक की वह शाखा स्थित हो, जिसमें आदाता उक्त चेक को भुगतान हेतु प्रस्तुत करे।

छोटे मूल्य वाले कार्ड के वर्तमान लेनदेन हेतु अधिप्रमाणन के अतिरक्त कारक की आवश्यकता में छूट

निकटवर्ती दूरसंचार क्षेत्र (NFC) समर्थित क्रेडिट और डेबिट कार्डो का उपयोग करते हुए पासवर्ड को पंच किए बिना किसी भी खुदरा बिक्री केन्द्र पर अथवा ऑनलाइन खरीदारी करते समय 2,000 रुपये तक के भुगतान किए जा सकते हैं। यह इसलिए संभव है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने छोटे मूल्य वाले लेनदेनों के लिए दूसरे या अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक को हटा लिया है। एनएफसी प्रौद्योगिकी प्रयोक्ताओं को उनके कार्ड को बिक्री केन्द्र के उपकरण पर भुगतान करने हेतु केवल टैप करने में समर्थ बनाती है। मौजूदा क्रेडिट कार्डों के विपरीत स्वाइपिंग की कोई जरूरत नहीं रह जाती। यह ऑनलाइन खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं को एक अतिरिक्त पासवर्ड टाइप करने की प्रक्रिया से बचा कर उनकी कठिनाई दूर कर देती है।

सरकार एकल डिमैट खाते और एकसमान अपने ग्राहक को जानिए पर शीघ्र कार्रवाई करेगी

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा है कि एकल डिमैट खाते और एकसमान अपने ग्राहक को जानिए पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और इस सम्बन्ध में एक उपयुक्त विनियमन ढांचा लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को बैंक खातों, शेयरों (स्टॉकों), बीमा पॉलिसियों, पारस्परिक निधियों तथा अन्य

वित्तीय आस्तियों जैसी उनकी वित्तीय आस्तियों के विवरण प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु सामान्य खातों के एक स्थान पर संयोजन की सुविधा की परिकल्पना की गई है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) ने स्थूल अर्थव्यवस्था और बाह्य क्षेत्र के प्रति सुभेद्यताओं सहित चुनौतियों / समस्याओं की जानकारी प्राप्त करते हुए यह मत व्यक्त किया कि हाल के महीनों में सरकार द्वारा की गई विविध नीतिगत पहलकदमियों की पृष्ठभूमि में स्थूल-आर्थिक सुभेद्यताओं में महत्वपूर्ण रुप से कमी आई है, वृद्धि की संभावना में सुधार आया है, मुद्रास्फीति में कमी आई है, बाह्य क्षेत्र में पुनरुत्थान दर्ज हुआ है तथा राजनीतिक स्थिरता आई है। परिषद ने कारपोरेट बॉण्ड बाज़ार के विकास के सम्बन्ध में अपने निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में हुई प्रगति पर भी चर्चा की तथा एक स्पंदनशील, गहन और अनिरुद्ध (liquid) बॉण्ड बाज़ार के विकास के आगले तौर-तरीके पर भी विचार-विमर्श किया।

मूलभूत सुविधा विकास ऋण निधि-गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के मानदंड शिथिल किए गए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मूलभूत सुविधा विकास ऋण निधियों को सरकारी-निजी सहभागिता (PPP) और उन मूलभूत सुविधा विकास परियोजनाओं जिन्होंने कम से कम एक वर्ष का संतोषजनक वाणिज्यिक परिचालन पूरा कर लिया है तथा जो समापन भुगतान के साथ अनिवार्य खरीद सुनिश्चित करने हेतु रियायत पाने वाले और परियोजना प्राधिकारी के साथ त्रिपक्षीय करार की एक पक्षकार हैं में निवेश करने की अनुमति देकर उनके वित्तीयन की गुंजाइश को व्यापक बना दिया है। मूलभूत सुविधा विकास निधि -गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को गैर-सरकारी-निजी सहभागिता वाली परियोजनाओं तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां कोई परियोजना प्राधिकारी न हो, परियोजना प्राधिकारी रहित सरकारी-निजी सहभागिता वाली परियोजनाओं में निवेश करने की भी अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, बशर्ते ये वाणिज्यिक परिचालन तिथि के पश्चात् (COD) वाली ऐसी मूलभूत सुविधा परियोजनाएं हो, जिन्होंने कम से कम एक वर्ष का वाणिज्यिक परिचालन पूरा कर लिया हो। किसी विशिष्ट परियोजना में कोई मूलभूत सुविधा विकास निधि-गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी जो अधिकतम एक्सपोजर वहन कर सकती है वह उसकी कुल पूंजीगत निधियों का 50% होगी। मूलभूत सुविधा विकास ऋण निधि- गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के बोर्ड के विवेक पर 10% का एक अतिरिक्त एक्सपोजर वहन किया जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक किसी मूलभूत सुविधा विकास निधि-गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी से आवेदन प्राप्त होने पर तथा इस बात के प्रति संतुष्ट होने पर कि उक्त मूलभूत सुविधा विकास निधि-गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी की स्थिति संतोषजनक है 15% के अतिरिक्त एक्सपोजर की अनुमति ऐसी शर्तों पर दे सकता है जिन्हें वह अतिरिक्त विवेकसंमत सुरक्षोपाय के रूप में उचित समझे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा अनिवासी निधियों के विप्रेषण सम्बन्धी मानदंड सरल बनाए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि ए 2 फार्म रुपया निधियों का उपयोग करते हुए विदेशी मुद्रा खरीदते समय भरा जाना चाहिए और इसलिए विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) निधियां विप्रेषित करते समय वह लागू नहीं होगा। इसके पूर्व विदेशों को मुद्रा भेजने के लिए घोषणा-सह-आवेदन पत्र पूरा करना अनिवार्य था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को खाता धारकों को अड़चन-रहित निधियों का

विप्रेषण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस बात की जांच करने के लिए कि ये लेनदेन प्रामाणिक हैं या नहीं खाता धारक की वास्तविक उपस्थिति पर बल देने की बजाय बेहतर पद्धतियां विकसित करने की सलाह दी है।

नाइक समिति के सात विषय पुनरीक्षण कैलेंडर को प्रतिस्थापित करेंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के बोर्डों द्वारा विचार-विमर्श किए जाने हेतु 'पुनरीक्षणों का व्यापक कैलेंडर' निर्धारित किया है तथा पिछले वर्षों में प्रयुक्त कैलेंडर में महत्वपूर्ण परिवर्धन किया है। यह देखने में आया है कि पुनरीक्षणों के कैलेंडर में बोर्ड का पर्याप्त समय लग जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप बोर्ड रणनीतिक और वित्तीय महत्व वाले मामलों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित समिति (अध्यक्ष डॉ. पी.जे. नायक) ने यह सिफारिश की थी कि बैंकों के बोर्ड में विचार-विमर्शों का कोटि-उन्नयन किए जाने की आवश्यकता नहीं है तथा अधिकाधिक संकेन्द्रण रणनीतिक मुद्दों पर होना चाहिए। पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2015-16 में पुनरीक्षण कैलेंडर को समाप्त कर देने तथा इसके बजाय इसे नायक समिति द्वारा निर्धारित सात महत्वपूर्ण विषयों नामत: कारोबारी रणनीति वित्तीय रिपोर्टें और उनकी समग्रता, जोखिम, अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन और मानव संसाधन तथा विचार-विमर्श किए जाने वाली मदोंएवं उनकी आवधिकता के निर्धारण का दायित्व बैंकों के बोर्ड पर छोड़ देने का सुझाव दिया गया था।

विनियामकों के कथन

बैंकों के लिए पूंजी जुटाना कठिन हो गया है

भातीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एस.एस. मूंदड़ा के अनुसार विशेषत: उनके व्यवसाय को सहारा देने हेतु अतिरिक्त पूंजी जुटाने की बैंकों के सामर्थ्य के प्रति चिंता की पृष्ठभूमि में पूंजी का संरक्षण और उसका कुशल उपयोग सभी बैंकों के लिए प्राथमिकता बन गया है। "ये चिंताएं, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में पूर्ण रूप से गलत नहीं हैं। बैंक शेयरों के घटिया मूल्यांकन से इस मामले में सहायता नहीं प्राप्त हो रही है, क्योंकि इक्विटी जुटाना कठिन हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार को बाधा का सामना करना पड़ रहा है। अतएव, कुछेक बैंकों के समक्ष उनकी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नये तरीकों की खोज की चुनौती उपस्थित हो गई है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक पूंजीगत लेखा लेनदेन बढ़ा कर 2,50,000 अमरीकी डालर प्रति वर्ष करने को तैयार

कार्यपालक निदेशक श्री जी. पद्मनाभन ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यक्तियों के लिए पूंजीगत

लेखे के लेनदेनों की प्रति वर्ष के आधार पर सीमा को क्रमिक रूप से बढ़ा दिया है तथा वह इसे बढ़ा कर प्रति व्यक्ति 2,50,000 अमरीकी डालर प्रति वर्ष करने हेतु सरकार से परामर्श कर रहा है। अब तक का अनुभव यह रहा है कि इसके अधकिांश का उपयोग संभवतया आसानी के कारण अनुमेय चालू खाता लेनदेनों के लिए किया जाता है। □हां पूंजीगत लेखे की पूर्ण परिवर्तनीयता से जोखिम जुड़े हुए हैं, वहीं लम्बी अवधि तक उदारीकरण का प्रतिरोध करना व्यर्थ और विपरीत प्रभाव वाला सिद्ध हो सकता है। अर्थव्यवस्था के और अधिक वैश्वीकृत हो जाने पर प्रतिबंधित पूंजीगत लेखे बनाए रखना कठिन हो जाएगा। अतएव, भारत के लिए पूंजीगत लेखे की पूर्ण परिवर्तनीयता को ओर आगे बढ़ते रहना आवश्यक है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए सुभेद्यताओं को घटाना महत्वपूर्ण है

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने इकॉनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयार्क में अपने भाषण में कहा है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को आस्ट्रेलिया और कनाडा जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचने के लिए उनकी अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान सुभेद्यताओं (कमजोरियों) को घटाने का प्रयास करना होगा, वे अपने लिए पूंजी अंतर्वाहों को बढ़ाने हेतु बहुत सारे समायोजन कर करने के लिए विनिमय दर में लचीलेपन की अनुमति दे सकते हैं। किन्तु आवश्यक संस्थाओं के विकास में समय लगता है। इस बीच, उभरते बाज़ारों के समक्ष पूंजी की बड़ी रकम को शीघ्रतापूर्वक तथा स्थिर रूप में अवशोषित करने में होने वाली कठिनाई को किसी ऐसी चीज़ जिसे शीघ्रता से बदला जा सकता है, की बजाय एक ऐसी बाधा के रूप मे देखा जाना चाहिए जो काफी कुछ शून्य जैसे निचले स्वरूप वाली होती है। प्रवाहों को अवशोषित करने के प्रलोभन का प्रतिरोध करते समय भी उभरते बाज़ार सुरक्षा पाशों की तलाश में होंगे।

बीमा

बीमाकर्ताओं के बीच शेयरधारिता में परिवर्तन

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारी (IRDAI) ने कहा है कि निम्नलिखित स्थिति में किसी बीमा कम्पनी के शेयरों के अंतरण या इक्विटी पूंजी के निर्गमन का कोई भी ऐसा पंजीकरण नहीं किया जा सकता जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारिता में परिवर्तन हो : अंतरण के बाद बीमा कम्पनी के शेयरों में अंतरिती की चुकता (प्रदत्त) धारिता के उसकी चुकता पूंजी के 5% से अधिक हो जाने की संभावना होने पर उसे अनुमोदित नहीं किया जाएगा। जब तक कि उक्त अंतरण के लिए प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन न प्राप्त किया गया हो, किसी व्यक्ति, फर्म, समूह, समूह के संघटकों अथवा उसी प्रबन्धन के अधीन कारपोरेट निकाय द्वारा अंतरित किए जाने वाले शेयरों के आनुमानिक मूल्य के संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक बीमा कम्पनी की चुकता इक्विटी पूंजी के 1% से अधिक होने पर।

इर्डाई द्वारा पंजीकरण मानदंड कठोर किया जाना प्रस्तावित

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कम्पनियों के पंजीकरण मानदंडों को कठोर बनाने की तैयारी कर ली है। अपने दिशानिर्देशों के मसौदे में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने प्रवर्तकों के मताधिकार, बेचे जाने वाले उत्पादों, वित्तीय कार्य-निष्पादन के अनुमान तथा बीमाकर्ता जिन क्षेत्रों में परिचालन करेंगे उनके विवरण मांग रखे हैं। पंजीकृत कराई जा रही नयी कम्पनियों के लिए भारतीय स्वाधिकृत एवं नियंत्रित कम्पनियों के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा। मौजूदा कम्पनियों को इसका पालन इन मानदंडों के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर करना होगा। पंजीकरण हेतु आवेदन पर विचार पूंजी संरचना, ग्रामीण क्षेत्र, असंगठित कामगारों और समाज के पिछड़े वर्गों को बीमा प्रदान करने की बाध्यता की सीमा जैसे कारकों को ध्यान में रखने के बाद किया जाएगा। इसमें उत्तरवर्ती पांच वर्षों की कारोबारी योजनाओं, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने की योजनाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। जीवन, सामान्य, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा सहित सभी श्रेणियों के लिए आवश्यक न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 200 करोड़ रुपये है।

भारतीय निवेशक बीमा फर्मों में चुकता इक्विटी शेयर के 10% से अधिक नहीं रख सकते

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार किसी भी भारतीय निवेशक को किसी बीमा कम्पनी में चुकता इक्विटी शेयरों के 10% से अधिक रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों के इक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियमन, 2015 के अनुसार सभी निवेशकों (जहां किसी बीमा कम्पनी में एक से अधिक निवेशक हों) को संयुक्त रूप से बीमा कम्पनी के चुकता इक्विटी शेयरों के 25% से अधिक नहीं रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहां तक बीमा कम्पनियों के शेयरों के अंतरण से सम्बन्धित प्रस्तावों का सम्बन्ध है, प्राधिकरण ने कहा है कि वह भारतीय प्रवर्तकों के साथ ही विदेशी प्रवर्तकों से अतिरिक्त पूंजी निषेचन के लिए अनुमोदन की एक पूर्वापेक्षा के रूप में एक न्यूनतम अवरुद्धता अवधि की व्यवस्था करने हेतु कह सकता है।

स्वास्थ्य बीमा से सम्बन्धित विशेषज्ञ पैनल का कहना है कि 5 वर्ष की अवधि हेतु प्रायोगिक उत्पादों की आवश्यकता है

स्वास्थ्य बीमा ढांचे की जांच करने हेतु गठित एक विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि पांच वर्ष की अवधि वाले प्रायोगिक उत्पाद होने चाहिए। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में उसने बीमाकर्ताओं द्वारा सीमित अवधि वाले उत्पादों की एक श्रेणी (प्रायोगिक उत्पाद के जाने वाले) रखे जाने की सिफारिश की है। इनमें उन जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की जाएगी जिन्हें अन्यथा इनकार या छोड़ दिया जाता है, जिनमें उन्हें पांच वर्ष के बाद नवीकृत करने या न करने का विकल्प प्राप्त हो। यह व्यवस्था नये और नवोन्मेषी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए होगी। पांच व्क नियमित उत्पाद के रूप में पुष्टि करनी होगी।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्री अरुण श्रीवास्तव	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सिंडिकेट
श्री रजनीश कुमार	प्रबन्ध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक
सुश्री वर्षा पुरंदरे	उप प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य ऋण और जोखिम अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक
श्री मृत्युंजय महापात्र	उप प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य सूचना अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक
श्री आर. ए. शंकर नारायण	कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया

विदेशी मुद्रा

जून, 2015 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.49600	0.86500	1.19900	1.44400	1.64500
जीबीपी	0.65700	0.9787.	1.2076	1.3888	1.5096
यूरो	0.07600	0.105	0.164	0.256	0.362
जापानी येन	0.14750	0.159	0.169	0.205	0.258
कनाडाई डालर	1.10000	1.046	1.165	1.298	1.436
आस्ट्रेलियाई डालर	2.06900	2.092	2.203	2.433	2.567
स्विस फ्रैंक	-0.72000	-0.720	-0.550	-0.410	-0.260
डैनिश क्रोन	0.14200	0.2250	0.3150	0.4380	0.5720
न्यूजीलैंड डालर	3.33000	3.360	3.430	3.510	3.600
स्वीडिश क्रोन	-0.23200	-0.119	0.076	0.283	0.495
सिंगापुर डालर	1.05000	1.355	1.625	1.853	2.030
हांगकांग डालर	0.57000	0.880	1.160	1.380	1.540
म्यामार	3.66000	3.650	3.750	3.850	3.950

स्रोत : www.fedai.org.in.

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	22 मई, 2015 के दिन	22 मई, 2015 के दिन
	बिलियन रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	**2**
कुल प्रारक्षित निधियां	22,317.1	351,556.9
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	20,745.6	326,839.3
(ख) सोना	1,229.3	19,335.7
(ग) विशेष आहरण अधिकार	258.4	4,064.5
ङघ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	83.8	1,317.4

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
बैंक ऑफ बड़ौदा	यूएई एक्सचेंज	ग्राहकों को भारतीय रुपया विप्रेषण सुविधा की यथार्थ समय वाली तुरंत जमा हेतु।
ऐक्सिस बैंक	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की पिंग पे मल्टी-सिस्टम पेमेंट सॉल्यूशन के जरिये तुरंत भुगतान सेवा	ग्राहकों को स्मार्ट फोनों के साथ ऐक्सिस बैंक से इतर खाताधारकों सहित अलग-अलग व्यक्तियों को निधियां अंतरित करने में समर्थ बनाने हेतु।
केनरा बैंक	मैसर्स वॉल्वो-ईचर कॉमर्शियल वेहिकल्स लि.	छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा ऋणों के वित्तीयन हेतु।
एचडीएफसी बैंक	अपोलो हॉस्पिटल्स	किसी कम्पनी के कर्मचारियों को चिकित्सा भते के सहज संवितरण हेतु।
बैंक ऑफ इंडिया	मास्टर कार्ड	ग्राहकों के भुगतान अनुभव को बढ़ाने हेतु।
भारतीय स्टेट बैंक	स्नैपडील	लघु एवं मध्यम उद्यमों से विनिर्माताओं और विक्रेताओं का वित्तीयन करने हेतु।
	पेपाल	भारतीय स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड धारकों को विदेशी वेब साइट से उतपाद खरीदने हेतु पेपाल का उपयोग करने के सुरक्षित भुगतान समाधान में अभिगम की अनुमति देने हेतु।
	अमैजॉन	एक ऐसे डिजिटल इंडिया का निर्माण करने हेतु जो ग्राहकों और छोटे व्यवसायों की अगली पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरी करे।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

मिश्रित ऋणगत पूंजी लिखत

इस श्रेणी में कई एक ऐसे पूंजी लिखत शामिल होते हैं जो इक्विटी की कुछेक विशेषताओं तथा ऋण की कुछेक विशेषताओं के संयोजन होते हैं। प्रत्येक में एक ऐसी खास विशेषता निहित होती है जिसे पूंजी के रूप में उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली माना जा सकता है। जहां इन लिखतों में इक्विटी के साथ घनिष्ठ एकरूपता हो, विशेषत: उस समर्थ हों, वहां उन्हें टियर II पूंजी में शामिल कर लिया जाना चाहिए।

शब्दावली

रुपया आहरण व्यवस्था (RDA)

रुपया आहरण व्यवस्था के तहत सीमा-पार वाले आवक विप्रेषणों को भारत में खाड़ी देशों, हांगकांग और सिंगापुर में स्थित विनिमय गृहों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। भारत में इन अनिवासी विनिमय गृहों के रुपया वॉस्त्रों खाते खोलने और उन्हें बनाए रखने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होती है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जून और जुलाई 2015 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	स्थल
1	बैंकों में वसूली प्रबन्धन	1 से 3 जून, 2015 8 से 10 जून, 2015	चेन्नै कोलकाता
2	अभ्युदय सहकारी बैंक के अधिकारियों के लिए ऋण मूल्यांकन पर ग्राहकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम 1ला बैच 2रा बैच 3रा बैच	 1 से 3 जून, 2015 4 से 6 जून, 2015 8 से 10 जून, 2015	 मुंबई मुंबई मुंबई
3	भारतीय महिला बैंक के शाखा प्रबन्धकों के लिए नेतृत्व विकास एवं ऋण प्रबन्धन	7 से 13 जून, 2015	मुंबई

4	विपणन / शाखा परिचालन और ग्राहक देखरेख / अंतर-वैयक्तिक कौशल - भारतीय महिला बैंक	15 से 20 जून, 2015	मुंबई
5	टीजेएसबी के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए दो प्रवेश कार्यक्रम	22 से 30 जून, 2015	ठाणे
6	भारतीय महिला बैंक के नव-नियुक्त अधिकारियों के लिए प्रवेश कार्यक्रम	15 से 26 जून, 2015	बेलापुर
7	प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक कार्यक्रम के लिए परीक्षोपरांत प्रशिक्षण	13 से 17 जुलाई, 2015	राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्थान, पुणे

संस्थान समाचार

आर.के. तलवार स्मारक व्याख्यान

6ठा आर.के. तलवार स्मारक व्याख्यान नीति आयोग, भारत सरकार के उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़या द्वारा 17 जुलाई, 2015 को भारतीय स्टेट बैंक सभागृह में दिया जाएगा।

कारबार संपर्कियों / कारबार सुसाधकों (प्रधान मंत्री जन-धन योजना) के लिए प्रमाणपत्र परीक्षा

संस्थान ने हाल ही में प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत कारबार संपर्कियों / कारबार सुशाधकों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। संस्थान ने "इनक्लूसिव बैंकिंग थ्रू बिजिनेस करेस्पॉडेंट - ए टूल फॉर पीएमजेडीवाई" शीर्षक से एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।)

एपीएबीआई सम्मेलन के लिए आलेखों (दस्तावेज़ों) की मांग

संस्थान एशिया-प्रशांत अफ्रीकी बैंकिंग संस्थाओं के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2015 का आयोजन बैंकिंग में नयी रूपावली (New paradigms in Banking) विषय-वस्तु पर करेगा। सम्मेलन की उक्त विषय-वस्तु से सम्बन्धित किसी भी विषय पर आलेख आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्दिष्ट तिथि

प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी कैलेण्डर वर्ष के मई / जून के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल 31 दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही पर ही विचार किया

जाएगा।

प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी कैलेण्डर वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल 30 जून तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपनी वेब साइट पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 /1998 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * प्रेषण तिथि प्रत्येक माह की 25 से 30 तक

विजन डाक्यूमेंट की हार्ड प्रतियों का प्रेषण

संस्थान जिन्होंने उसके पास अपने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत करा रखे थे उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा मासिक आईआईबीएफ विजन अग्रेषित करता है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास 30 सितम्बर, 2015 को या उससे पहले पंजीकृत करवा लें। **संस्थान अक्तूबर, 2015 से सभी सदस्यों को आईआईबीएफ विजन की हार्ड प्रतियां भेजना बंद कर देगा।** सदस्यों से इस बात को ध्यान में रखने का अनुरोध है कि भविष्य में आईआईबीएफ विजन की केवल सॉफ्ट प्रतियां ही ई-मेल के जरिये भेजी जाएंगी।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

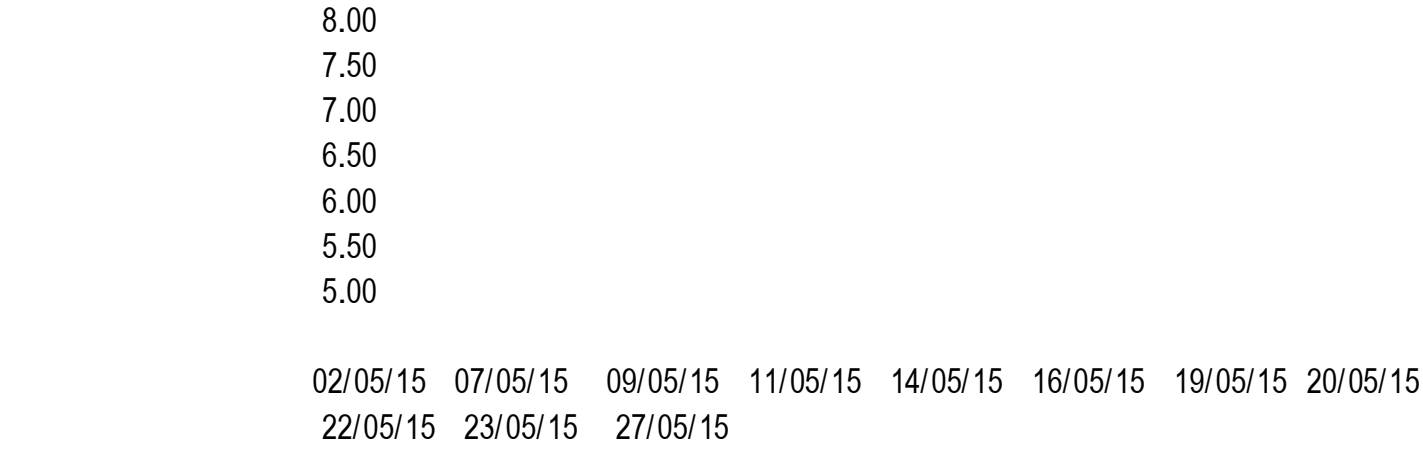

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मई, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

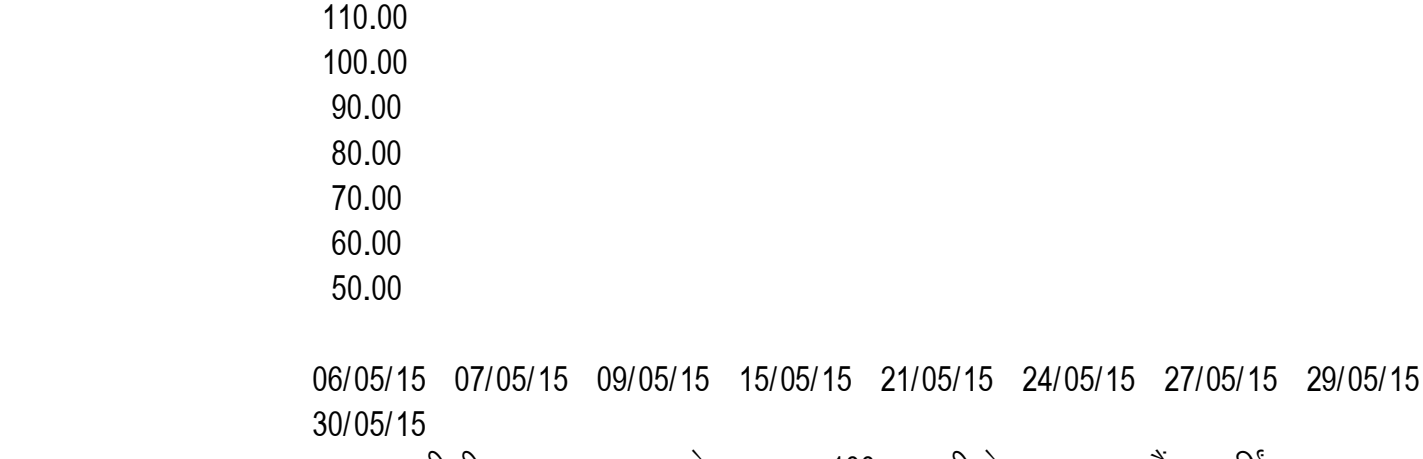

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

27000
26500
26000
25500

04/05/15 07/05/15 13/05/15 18/05/15 20/05/15 22/05/15 25/05/15 29/95/15

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल-II,, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. जे. एन. मिश्र

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न जून, 2015